सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2020-21)

सत्रहवीं लोक सभा

39

उन्तालीसवाँ प्रतिवेदन

[राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुई देरी]

(10.08.2021 को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अगस्त 2021 / **श्रावण** 1943 (शक)

विषय सूची पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समति (2020-21) की संरचना		**(iii)**
प्राक्कथन		**(v)**
<u>प्रतिवेदन</u>		
राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुई देरी		01
<u>अनुबंध</u>		
एक	राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी), नई दिल्ली की स्थापना के लिए जारी की गई राशि दर्शाने वाला विवरण।	11
दो	राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी), नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 से 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने की तिथियां दर्शाने वाला विवरण।	12
तीन	राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी), नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 से 2017-2018 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण।	13
<u>परिशिष्ट</u>		
एक	समिति (2019-2020) की 04.03.2020 को हुई तीसरी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण	15
दो	समिति (2020-2021) की 20.01.2021 को हुई **आठवीं** बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण	17

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का गठन

(2020-2021)

सभापति

श्री रितेश पांडेय

सदस्य

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. श्री पल्लव लोचन दास
6. श्री चौधरी मोहन जटुआ
7. अली केसर महबूब चौधरी
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्रीमती बी. विसाला	-	निदेशक
3.	श्री मुनीष कुमार रेवाड़ी	-	अपर निदेशक
4.	श्रीमती मनजिंदर पब्बी	-	अवर सचिव
5.	श्रीमती रजनी भगत	-	समिति अधिकारी
6.	श्री दर्पण शर्मा	-	सहायक समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2020-21) का सभापति, समिति द्वारा इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब से संबंधित समिति का यह उनतालीसवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 08 मार्च, 1976; 12 मई, 1976 और 22 दिसम्बर, 1977 के क्रमश: पहले प्रतिवेदन, दूसरे प्रतिवेदन (पाँचवी लोक सभा) और दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिश के संदर्भ में संगठन/कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

3. समिति ने राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने में हुई देरी के मामले पर विचार किया और इस संबंध में 04.03.2020 को आयोजित बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) और एनसीसीडी, नई दिल्ली के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिये।

4. समित ने 20.07.2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति लिखित उत्तरो, अन्य सामग्री/ जानकारी को प्रस्तुत करने और समिति के समक्ष अपने विचार रखने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) और एनसीसीडी, नई दिल्ली के अधिकारिओ के प्रति अपना धन्यवाद करना चाहती है ।

6. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित कराया गया है।

नई दिल्ली
29 जुलाई, 2021
07 श्रावण, 1943(शक)

रितेश पांडेय
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

प्रतिवेदन

राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुआ विलंब

देश में शीत श्रृंखला विकास के लिए रोड मैप विकसित करने हेतु कृषि मंत्रालय दवारा दिनांक 3 मई, 2007 के आदेश के तहत एक कार्य बल का गठन किया गया था। कार्य बल में अगस्त 2008 में अपना प्रतिवेदन सौंपा और शीत श्रृंखला विकास में विभिन्न जटिलताओं का आकलन किया। इसने अपने प्रबंधन और कार्य के लिए 125 करोड़ रूपये के परिव्यय से राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी) की स्थापना करने की सिफारिश की थी। कार्य बल ने सिफारिश की थी कि इसे एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जाए और यह निकाय (एक) सरकार सलाह देने, और (दो) प्रचालनात्मक प्रबंधन की जरूरतों का निपटान करने के लिए दो-स्तरीय तरीके से कार्य करे।

एनसीडीसी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 27.01 2011 को पजीकृत किया गया था और इसे सोसाइटी के सदस्य के रूप में पणधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मोड में संचालित करने के लिए संरचित किया गया था। दिनांक 09-02-2012 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद, मार्च और अप्रैल 2012 में पूंजीगत निधि के रूप में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से 25 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हुई थी। एनसीसीडी दवारा सदस्यता शुल्क और प्रदत्त सेवाओं के प्रभारों से आने वाला ब्याज और अन्य आय का उपयोग इसके प्रशासनिक, कार्मिक और अन्य लागतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसा कि इसके शासी परिषद दवारा निर्धारित किया गया है। एनसीसीडी को इस तरह संरचित किया गया है कि सरकार को इसके संचालन और रखरखाव के लिए कोई व्यय नहीं वहन करना पड़े।

2. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र की स्थापना के लिए जारी की गई राशि की तिथियां और विवरण अनुबंध-एक में दिया गया है।

3. एनसीसीडी के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के अधिनियम, नियम, विनियमन और समय के प्रावधान के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत बतायाः

" एनसीसीडी के उपनियमों में लेखे रखने का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए, एनसीसीडी के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं को फाईल पर डीएसी एंड एफडब्ल्यू के निदेशों के अनुसार, 27.09.2018 को संसद के दोनों सदनों में रखा गया था। "

4. समिति के निर्णय के अनुसार, पांच करोड़ रूपए अथवा उससे अधिक की एक बारगी सहायता प्राप्त करने वाली सोसायटियों/संगठनों के लिए अपने वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष रखना आवश्यक होता है।

इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियमावली के खंड 238(6) में कहा गया है कि ". . . . सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत निजी और स्वैच्छिक संगठन अथवा सोसाइटियां जो पचास लाख रूपए अथवा इससे अधिक की एक बारगी सहायता/अनावर्ती अनुदान प्राप्त कर रही हैं, उनके वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को भी अनुदानग्राही संगठनों के अगले वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

5. समिति ने 08 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत अपने पहले प्रतिवेदन (5 वीं लोक सभा) में इस बात पर बल दिया था कि स्वायत्त संगठनों को संबंधित लेखांकन वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर अपने वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और समीक्षा विवरण सभा पटल पर रखने चाहिए। इसके अलावा, संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की जिम्मेदारी प्रशासनिक मंत्रालय की होती है। तथापि, यदि किसी कारणवश, नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर नहीं रखा जाता है, तो संबंधित मंत्रालय को समय से दस्तावेजों को सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताते हुए उक्त अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के अंदर अथवा जब भी सभा समवेत हो, जो भी बाद में हो, कारणों को बताते हुए एक विवरण सभा पटल पर रखना चाहिए।

6. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 30 जुलाई, 2019 को एनसीसीडी के वर्ष 2011-12 से 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष रखा। लोक सभा की सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी संसदीय समिति द्वारा इन पत्रों की संवीक्षा में इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में 07 माह से 06 वर्ष और 07 माह का दीर्घकालिक विलंब हुआ। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 के आवश्यक दस्तावेजों को भी 13 माह के विलम्ब से दिनांक 02.02.2021 को सभा पटल पर रखा गया है।

इसके अलावा, एनसीसीडी के वर्ष 2019-2020* के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को अब तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है। विलंब की अवधि के साथ एनसीसीडी के वार्षिक प्रतिवेदनों/ लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने की वास्तविक तिथियां अनुबंध-दो में दी गई हैं।

7. एनसीसीडी के वर्ष 2011-12 से 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बतायाः-

'एनसीसीडी को 27.09.2018 को वर्ष 2011-12 से 2017-18 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद की सभाओं में रखने के निदेश प्राप्त हुए। '

8. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय इस बात से सहमत है कि दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हो रहा निरंतर विलंब इंगित करता है कि पत्रों को समय से संसद के समक्ष रखने को अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया और चीजों को लापरवाह तरीके से लिया गया, मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दियाः

" एनसीसीडी के उप नियमों में लेखाओं को सभा पटल पर रखने का कोई उल्लेख नहीं है, और एनसीसीडी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वार्षिक प्रतिवेदन को संसद की दोनों सभाओं में रखना आवश्यक होता है।"

****वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखा, 09.03.2021 को सदन (लोक सभा) में रखे गए हैं***

9. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय/एनसीसीडी ने उन चरणों को चिन्हित किया है, जिनमें इन वर्षों के दौरान विलंब हुआ है, और इसे कम करने के लिए मंत्रालय के पास क्या प्रस्ताव है, मंत्रालय ने निम्नवत बतायाः-

" अब से, एनसीसीडी, कार्यों को पूरा करने के लिए समय से कार्रवाई करेगी।"

10. समिति ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या इन वर्षों में एनसीसीडी, नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करने में कोई विलंब हुआ है, मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नवत बतायाः

"मार्च 2014 में एनसीसीडी की कार्यकारी टीम के सीईओ के शामिल होने के बाद वित्त वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए मैसर्स उमेश बाबू अग्रवाल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को अगस्त, 2014 में पहला लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। इसके बाद, सीएजी के साथ पैनलबद्ध मैसर्स एपीएन एसोसिएट, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्त वर्ष 2018-19 तक हर एक वर्ष नियुक्त किया गया। "

11. समिति ने यह भी जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या लेखाओं का समय से संकलन सुनिश्चित करने और लेखापरीक्षा के समय लेखापरीक्षा से संबंधित प्रश्नों को कम करने के लिए कोई आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बतायाः-

"एनसीसीडी, 2.25 करोड़ रूपए की ब्याज आय और केवल 95 लाख रूपए के वेतन और प्रशासनिक आय वाली एक बहुत छोटी संस्था है। एनसीसीडी में वित्त सलाहकार चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और वह एनसीसीडी में आंतरिक जांच कार्यों को भी देख रहा है। इसलिए, वैधानिक लेखा परीक्षा के साथ-साथ अलग आंतरिक लेखा परीक्षा टीम की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई है। "

12. यह पूछे जाने पर कि क्या हर एक चरण में विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए कोई समय सारणी निर्धारित की गई है, और क्या भविष्य में संसद के समक्ष दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय/एनसीसीडी द्वारा कोई उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जाने प्रस्तावित हैं, मंत्रालय ने निम्नलिखित समय सारणी दी हैः-

"भविष्य में, लेखाओं को निम्नवत अंतिम रूप दिया जाना प्रस्तावित हैः

(क) प्रारूप लेखे तैयार करना और 31 मई, तक सांविधिक लेखापरीक्षकों को उपलब्ध कराना;

(ख) 31 जुलाई तक सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा पूरा करना;

(ग) वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अनुमोदन के लिए 30 सितंबर तक कार्यकारी समिति के समक्ष रखना;

(घ) वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को अनुमोदन के लिए 31 अक्तूबर तक शासी परिषद के समक्ष रखना;

(ङ) वार्षिक प्रतिवेदनों को 31 दिसंबर तक संसद के दोनों सदनों में रखना।"

विभिन्न चरणों अर्थात लेखापरीक्षकों से संपर्क करने से लेकर एनसीसीडी के वर्ष 2011-12 से 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष रखने में लिए गए वास्तविक समय को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध-तीन में दिया गया है।

13. दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखने के लिए इस संबंध में कार्य प्रगति की निगरानी करने हेतु मंत्रालय में कोई तंत्र है, के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत बतायाः-

" एनसीसीडी के वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक के 7 वर्षों की लेखाओं को पहली बार जुलाई 2019 में सदन में रखा गया था। अब, लेखाओं को समय से सभा पटल पर रखने की निगरानी करने के लिए एक तंत्र का पालन किया जाएगा। "

14. समिति ने यह भी जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या मंत्रालय दस्तावेजों को समय से सदन में रखने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए समिति के विचारार्थ कोई अन्य जानकारी/सुझाव देना चाहेगा, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बतायाः-

"डीएसीएंडएफडब्ल्यू ने एनसीसीडी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से सीएजी से अनुरोध किया था। तदनुसार, उन्होंने वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक 5 वर्षों के लिए मई

2019 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के तहत एनसीसीडी लेखाओं की लेखापरीक्षा की है। उन्होंने सदन में रखने के अनुरोध के साथ प्रत्येक वित्त वर्ष (2013-14 से 2017-18 तक) के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया है।"

उपर्युक्त उत्तर के आधार पर, समिति ने मंत्रालय से एनसीसीडी द्वारा स्वीकृत की गई लेखाओं की लेखापरीक्षा करने की प्रक्रिया के बारे में कतिपय प्रश्नों से संबंधित और स्पष्टीकरण मांगा, मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए निम्नवत बताया:-

16." राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केन्द्र के उप नियम के अनुसार (पैरा 12(चार)), एनसीसीडी के लेखाओं की शासी परिषद द्वारा नियुक्त किए गए एनसीसीडी के लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा की जाएगी। .. . ...इस तरह, सीएजी कार्यालय में सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट को एनसीसीडी लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए एनसीसीडी के सांविधिक लेखापरीक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाता है।

17.....नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि की एनसीसीडी लेखाओं की अप्रैल/मई 2019 में लेखापरीक्षा की और उनके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सितंबर, 2019 में प्राप्त हो गए थे। इस समय तक, हमने डीएसी एंड एफडब्ल्यू के निदेशों के अनुसार लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ-साथ वार्षिक प्रतिवेदनों को पहले ही 30.07.2019 को सभा पटल पर रख दिया था।

18.डीईए ने 5 वर्षों की विशिष्ट अवधि अर्थात 2013-14 से 2017-18 तक की एनसीसीडी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का कार्य नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा था, और इसलिए, उन्होंने वित्त वर्ष 2011-12 और 2012-13 में लेखापरीक्षा नहीं की। "

15. समिति ने एनसीसीडी के वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले पर विचार करने के लिए 04 मार्च, 2020 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण

विभाग) और राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

16. साक्ष्य के दौरान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) के सचिव ने दोहराया कि वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने से एनसीसीडी अनभिज्ञ थी। तथापि, उन्होंने समिति के समक्ष बताया कि उनका लक्ष्य वर्ष 2018-19 के आवश्यक दस्तावेजों को अप्रैल, 2020 में, और वर्ष 2019-2020 के दस्तावेजों को इस वर्ष के दिसंबर में सभा पटल पर रखना है।

टिप्पणियां/सिफारिशें

17. **समिति यह नोट करके निराश है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) ने राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी) के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाया, क्योंकि यह सुनिश्चित करना नोडल मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले सभी संगठन/संस्था इत्यादि, वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखपरीक्षित लेखाओं को समय से संसद के समक्ष रखने संबंधी नियमों का पालन करें।**

समिति यह नोट करके बहुत निराश है कि मंत्रालय ने न केवल एनसीसीडी के वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को 07 माह से 06 वर्ष और 07 माह के अत्यधिक विलंब के साथ 30.07.2019 को लोक सभा के सभा पटल पर रखा, बल्कि उक्त सात वर्षों की लेखाओं का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए लेखापरीक्षकों की बजाय निजी लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा करा कर संसद के समक्ष रखा। इसके अलावा, समिति को यह भी बताया गया कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अप्रैल/मई, 2019 में 5 वर्षों की अवधि अर्थात वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए एनसीसीडी की लेखाओं की लेखापरीक्षा की थी, और सिंतबर, 2019 में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया। तथापि, उस समय तक, वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को पहले ही संसद के समक्ष रख दिया गया था। यह, जीएफआर नियमों और सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की सिफारिशों का पूर्ण उल्लंघन है। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 के आवश्यक दस्तावेजों को अब 13 माह से अधिक के विलम्ब से सभा पटल पर रखा गया है, जो सचिव द्वारा साक्ष्य के दौरान दिए गए आश्वासन के विरुद्ध है।

अतः, समिति, वर्ष 2019-2020* के एनसीसीडी के लंबित दस्तावेजों को यथाशीघ्र सभा पटल पर रखने और भविष्य में आवश्यक दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय को सख्त निर्देश देती है। इसके अलावा, समिति, इसकी स्थापना के समय से शेष सभी वर्षों के लिए एनसीसीडी की लेखाओं की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से लेखापरीक्षा कराने और ऐसे सभी लंबित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को बिना किसी और विलंब के संसद के समक्ष रखने का मंत्रालय को निर्देश देती है।

समिति, इस मामले में मंत्रालय के उदासीन रवैये से अप्रसन्न है, और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए उन्हें अधिक सतर्क रहने हेतु सख्त निर्देश देती है।

18. **समिति को मंत्रालय द्वारा यह भी बताया गया था कि एनसीसीडी के आवश्यक दस्तावेजों को संसद के समक्ष रखने में विलंब हुआ क्योंकि लेखाओं को एनसीसीडी के उप नियम में रखने का कोई उल्लेख नहीं था, और यह कि एनसीसीडी को यह जानकारी नहीं थी कि वार्षिक प्रतिवेदनों को संसद की दोनों सभाओं में रखना होता है।**

समिति, मंत्रालय/एनसीसीडी को जीएफआर नियम 238(6) और लोक सभा के सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की पूर्व की सिफारिशों के अनुसार, एनसीसीडी के उप नियमों में आवश्यक संशोधन (नों) करने का निदेश देती है।

19. समिति, मंत्रालय से अपरिहार्य कारणों से अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत संगठनों/संस्थाओं इत्यादि के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले में, आवश्यक दस्तावेजों को विहित अवधि

**वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखा, 09.03.2021 को सदन (लोक सभा) में रखे गए हैं*

के अंदर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाला एक विवरण निश्चिम रूप से 30 दिनों के अंदर सभा पटल पर रखा जाना चाहिए, जैसाकि समिति द्वारा अपने पूर्व के प्रतिवेदनों में सिफारिश की गई थी।

नई दिल्ली
20 जुलाई, 2021
29 आषाढ़,1943(शक)

रितेश पांडेय
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

अनुबंध-एक

देखिए प्रतिवेदन का पैरा 02

राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी) की स्थापना के लिए जारी की गई राशि दर्शाने वाला विवरण

राशि	**-**	**तिथि**
12.50 करोड़ रुपए (डीएसीएंडएफडब्ल्यू अनुदान में से)	-	30 मार्च, 2012
12.50 करोड़ रुपए (एनएचबी के आंतरिक प्रभार से)	-	11 अप्रैल, 2012

भारत सरकार द्वारा एनसीसीडी को कोई एनी राशि जारी नहीं की गई थी।

अनुबंध-दो

देखिए प्रतिवेदन का पैरा 06

राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी) के वर्ष 2011-12 से 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने की तिथियां दर्शाने वाला विवरण।

वर्ष	वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने की अपेक्षित तिथि	वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने की वास्तविक तिथि	विलंब की अवधि
2011-12	31.12.2012	30.07.2019	06 वर्ष और 07 माह
2012-13	31.12.2013	30.07.2019	05 वर्ष और 07 माह
2013-14	31.12.2014	30.07.2019	04 वर्ष और 07 माह
2014-15	31.12.2015	30.07.2019	03 वर्ष और 07 माह
2015-16	31.12.2016	30.07.2019	02 वर्ष और 07 माह
2016-17	31.12.2017	30.07.2019	01 वर्ष और 07 माह
2017-18	31.12.2018	30.07.2019	07 माह
2018-19	31.12.2019	02/02/21	01 वर्ष और 01 माह
2019-2020	31.12.2020	अभी तक सभा पटल पर नहीं रखा गया	-

****वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखा, 09.03.2021 को सदन (लोक सभा) में रखे गए हैं***

अनुबंध-तीन

देखिए प्रतिवेदन का पैरा 12

राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी) के वर्ष 2011-12 से 2017-2018 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण।

क्र.सं सं .	विवरण	2011-12 से 2017-2018
क)	लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए एनसीसीडी द्वारा लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने की तिथि।	लागू नहीं मैसर्स उमेश अग्रवाल एंड को., चार्टर्ड अकाउंटेंट को वित्त वर्ष 2011-12 से 2013-14 की एनसीसीडी की लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए अगस्त, 2014 में नियुक्त किया गया था और मैसर्स एपीएन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट को वर्ष 2014-15 की एनसीसीडी की लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए अगस्त, 2015 में नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात, वित्त वर्ष 2018-19 तक प्रत्येक वर्ष उनकी पुनर्नियुक्ति की गई थी।
ख)	सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की तिथि।	लागू नहीं
ग)	वार्षिक लेखाओं के संकलन की तिथि।	लागू नहीं
घ)	लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने की तिथि।	लागू नहीं
ड)	वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षकों द्वारा प्रश्न उठाए जाने की तिथि।	लागू नहीं
च)	लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराए जाने की तिथि।	लागू नहीं
छ)	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन	लागू नहीं

	प्रस्तुत करने की तिथि	
ज)	सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजों को अनुमोदित कराए जाने की तिथि।	सात वर्षों (2011-12 से 2017-18 तक) के वार्षिक प्रतिवेदनों को विचार और अनुमोदन करने के लिए 21.12.2018 को हुई कार्यकारी समिति और शासी परिषद की बैठक में उनके समक्ष रखा गया।
झ)	अनुवाद और मुद्रण हेतु दस्तावेजों को लिए जाने की तिथि और कार्य को पूरा करने में लगा समय।	वित्त वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों को हिंदी अनुवाद और मुद्रण कार्य के लिए जून, 2019 में लिया गया और एक माह में पूरा किया गया।
ञ)	दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के लिए मंत्रालय को भेजने की तिथि।	वित्त वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने के लिए डीएसी एंड एफडब्ल्यू को जुलाई, 2019 में भेजा गया और तत्पश्चात, उन्होंने उसे 30.07.2019 को सभा पटल पर रखा।
ट)	दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की तिथि।	30.07.2019

परिशिष्ट-एक

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2019-2020) की तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक बुधवार, 4 मार्च, 2020 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक समिति कक्ष 'ई' संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री श्याम सिंह यादव - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री पल्लब लोचन दास
4. चौधरी महबूब अली कैसर
5. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
6. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
7. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
8. श्री टी.एन. प्रथापन
9. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
10. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री बी. श्रीनिवास प्रभु - संयुक्त सचिव
2. श्री कुशल सरकार - निदेशक
3. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक

X X X X

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री संजय अग्रवाल - सचिव
2. श्री राजबीर सिंह - संयुक्त सचिव, एमआईडीएच और निदेशक, एनसीसीडी

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक के आयोजन के प्रयोजन के बारे में बताया।

3-11. **X X X X**

12. तत्पश्चात, सभापति ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) और नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट (एनसीसीडी), नई दिल्ली के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया और उन्हें यह बताया कि यह बैठक एनसीसीडी, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों पर चर्चा करने हेतु बुलाई गई है। सभापति ने साक्षियों को कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा जारी निदेश के निदेश 58 के प्रावधानों के बारे में भी बताया।

13. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष एनसीसीडी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। यह भी बताया गया कि मंत्रालय तथा एनसीसीडी के कर्मचारी दोनों को यह जानकारी नहीं थी कि किसी संस्था, जिसे भारत सरकार द्वारा एकमुश्त अनुदान दिया जाता है उसके लिए दस्तावेजों को सभा पटल पर रखना आवश्यक है। तथापि, मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव द्वारा मामले की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया कि ऐसे मामले में भी, जिनमें एकमुश्त अनुदान प्राप्त किया गया है, अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखना पड़ेगा और परिणामस्वरूप, वर्ष 2018 में एनसीसीडी को अपनी आधिकारिक समिति के समक्ष रिकॉर्ड रखने का निदेश दिया गया। उसके बाद, समिति द्वारा रिकॉडों को पास किया गया और उन्हें एक साथ संसद के समक्ष सभा पटल पर रखा गया।

मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को आश्वासन दिया कि वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन को इस वर्ष अप्रैल में तथा वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन को दिसम्बर तक सभा पटल पर रखा जाएगा।

14. तत्पश्चात, माननीय सभापति ने विषय की जांच के संबंध में उपयोगी चर्चा के लिए मंत्रालय और एनसीसीडी, नई दिल्ली के प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया।

तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

15-16. **X X X X**

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

.....

परिशिष्ट-दो

सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2020-2021) की

बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक मंगलवार 20 जुलाई 2021 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कक्ष '01' में, संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रितेश पांडेय - **सभापति**

सदस्य

1. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
2. डॉ ए. चेल्लाकुमार
3. श्री पल्लव लोचन दास
4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
5. श्री एस. रामलिंगम
6. श्री सप्तगिरी उलाका

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक

X X X X X

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित निम्नलिखित xxxx प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए लिया :-

1. **X X X X;**
2. राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी), नई दिल्ली।

कुछेक चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधनों के इन xxxx प्रतिवेदनों को स्वीकार किया।

4. **X X X X X**

5. समिति ने इन प्रतिवेदनों को संसद में प्रस्तुत करने हेतु माननीय सभापति को प्राधिकृत किया।

6-10. X X X X X

<u>तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।</u>

****